सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2021/36(20/2021) दर्ज तिथिः—01.02.20211

1. अणदा पुत्र चुतरा
2. खूमा पुत्र चुतरा
3. तगो पत्नी चुतरा
4. शांति पुत्री हुकमा
5. पवनी पुत्री हुकमा
6. रमेशकुमार पुत्र हुकमा
7. पेम्पो पुत्री हुकमा वादी संख्या 06 व 07 नाबालिग वलिये कुदरती माता वादी संख्या 8
8. झीमा पत्नी हुकमा
   जाति जाट निवासी सियोलों की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

......................वादी

बनाम

1. भूराराम पुत्र कलाराम
2. लाखाराम पुत्र कलाराम
3. गोमाराम पुत्र कलाराम
4. पूराराम पुत्र कलाराम
5. छोगाराम पुत्र कलाराम
6. केहरी पत्नी कलाराम विलोपित के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 05
7. शेराराम पुत्र खरता
8. जेठाराम पुत्र खरता
9. वीरमाराम पुत्र खरता
10. खेमाराम पुत्र खरता
11. सजनी पत्नी खरता
12. माना पुत्र हरखा
13. ओमाराम पुत्र आदूराम
14. ईसराराम पुत्र आदूराम
15. मूलाराम पुत्र आदूराम
16. वीराराम पुत्र आदूराम
17. धापूदेवी पत्नी आदूराम विलोपित के वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 ता 16
    जाति जाट निवासी बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

................असल प्रतिवादीगण

18. तहसीलदार नोखड़ा

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—ःसंशोधित निर्णयः—

संशोधित निर्णय तिथिः—02.06.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 461/41.04 बीघा, 556/0.05 बीघा, 567/74.17 बीघा मौजा बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03, 05, 07 ता 09, 13 एवं 15 जरीये आसलतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 03, 05, 07 ता 09, 13 एवं 15 द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के साथ प्रतिवादीगण की आराजी का भी बंटवारा किया जावे। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान—ए—बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.06.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार नोखड़ा से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1760 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 03, 05, 07 ता 09, 13 एवं 15 द्वारा प्रार्थना—पत्र वास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण का कब्जा अनुसार सहमति बंटवाड़ा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का उक्तानुसार बंटवाड़ा किया जावे। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 1760 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 14.10.2024 को तहसीलदार नोखडा द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखडा के नोटिस पत्रांक / 2024 / 486–510 दिनांक 30.09.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 14.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील तहसील नोखडा के नोटिस पत्रांक / 2024 / 486–510 दिनांक 30.09.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 14.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072–2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 461 / 41.04 बीघा, 556 / 0.05 बीघा, 567 / 74.17 बीघा मौजा बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 ता 03, 05, 07 ता 09, 13 एवं 15 द्वारा सहमति से बंटवाड़ा प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 01 ता 03, 05, 07 ता 09, 13 एवं 15 के हिस्से एवं वर्तमान कब्जा अनुसार विभाजन स्वीकार करने का निवेदन किया गया है। उक्त प्रार्थना–पत्र पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण द्वारा तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का विभाजन स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 ता 03, 05, 07 ता 09, 13 एवं 15 का सहमति से विभाजन स्वीकार करने पर सहमति प्रदान की। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03, 05, 07 ता 09, 13 एवं 15 के सहमति से विभाजन पर अधिवक्ता वादीगण की सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03, 05, 07 ता 09, 13 एवं 15 द्वारा प्रस्तुत सहमति बंटवाड़ा के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में उक्तानुसार अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2025 को जारी की गई। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा—152 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2025 में अंकित तालिका के बिन्दु संख्या 04 पर प्रतिवादी संख्या 12 माना पुत्र हरखा हेतु प्रस्तावित अलग हिस्से में टंकण भूल से पूर्ण हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा अंकित हो गया है। जिसे कलमजन किया जाकर संशोधित डिक्री में माना पुत्र हरखा हेतु प्रस्तावित उक्त आराजी में पूर्ण हिस्सा किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार संशोधन किये जाने का निवेदन है।

5. प्रकरण में अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 12 हेतु खसरा संख्या 567, 461 में पृथक हिस्सा प्रस्तावित किया गया है। जिसमें टंकण भूल से हिस्सा 1/4 अंकित होना स्पष्ट है। अतः अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2025 में प्रतिवादी संख्या 12 हेतु प्रस्तावित हिस्से में पूर्ण हिस्सा का अंकित करते हुए संशोधित डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 461/41.04 बीघा, 556/0.05 बीघा, 567/74.17 बीघा मौजा बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03, 05, 07 ता 09, 13 एवं 15 द्वारा प्रस्तुत सहमति से बंटवाड़ा मय नक्शा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अणदा पुत्र चुतरा हि0 1/4 खुमा पुत्र चुतरा हि0 1/4 तगी पत्नी चुतरा हि0 1/4 रमेश कुमार पुत्र हुकमाराम हि0 1/20 शांति पुत्री हुकमाराम हि0 1/20 पदमी पत्नी हुकमाराम हि0 1/20 पेम्पों पुत्री हुकमाराम हि0 1/20 झीमों पत्नी हुकमाराम हि0 1/20 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी बाण्ड धीमजी	566 567 461	0.0405 2.3400 1.3338	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 3.7143 है0				
पूराराम पुत्र कलाराम हि0 1/5 भूराराम पुत्र कलाराम हि0 1/5 लाखाराम पुत्र कलाराम हि0 1/5 गोमाराम पुत्र कलाराम हि0 1/5 छोगाराम पुत्र कलाराम हि0 1/5 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी	567	3.7200	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 3.7200 है0				
वीरमाराम पुत्र खरता हि0 1/5 शेराराम पुत्र खरता हि0 1/5 खेमा पुत्र खरता हि0 1/5 जेठा पुत्र खरता हि0 1/5 सजनी पत्नी खरता हि0 1/5 जाति जाट सा0 देह खातेदार	बाण्ड धीमजी	461 461	2.3133 1.4067	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 3.7200 है0				
माना पुत्र हरखा हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी बाण्ड धीमजी	567 461 461	2.1046 0.8569 0.7585	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 3.7200 है0				
मूलाराम पुत्र आदूराम हि0 1/4 ईसराराम पुत्र आदूराम हि0 1/4 वीराराम पुत्र आदूराम हि0 1/4 ओमाराम पुत्र आदूराम हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी	567	3.7200	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 3.7200 है0				
खुमाराम पुत्र चुतराराम हि0 1/4 पूराराम पुत्र कलाराम हि0 1/4 मानाराम पुत्र हरखाराम हि0 1/4 वीरमाराम पुत्र खरताराम हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी	567	0.2317	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.2317 है0				

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह संशोधित निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2021/36(20/2021) दर्ज तिथिः–01.02.20211

1. अणदा पुत्र चुतरा
2. खूमा पुत्र चुतरा
3. तगो पत्नी चुतरा
4. शांति पुत्री हुकमा
5. पवनी पुत्री हुकमा
6. रमेशकुमार पुत्र हुकमा
7. पेम्पो पुत्री हुकमा वादी संख्या 06 व 07 नाबालिग वलिये कुदरती माता वादी संख्या 8
8. झीमा पत्नी हुकमा
   जाति जाट निवासी सियोलों की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

......................वादी

बनाम

1. भूराराम पुत्र कलाराम
2. लाखाराम पुत्र कलाराम
3. गोमाराम पुत्र कलाराम
4. पूराराम पुत्र कलाराम
5. छोगाराम पुत्र कलाराम
6. केहरी पत्नी कलाराम विलोपित के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 05
7. शेराराम पुत्र खरता
8. जेठाराम पुत्र खरता
9. वीरमाराम पुत्र खरता
10. खेमाराम पुत्र खरता
11. सजनी पत्नी खरता
12. माना पुत्र हरखा
13. ओमाराम पुत्र आदूराम
14. ईसराराम पुत्र आदूराम
15. मूलाराम पुत्र आदूराम
16. वीराराम पुत्र आदूराम
17. धापूदेवी पत्नी आदूराम विलोपित के वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 ता 16
    जाति जाट निवासी बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

................असल प्रतिवादीगण

18. तहसीलदार नोखड़ा

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar
Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः–श्री जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–ःसंशोधित पर्चा डिक्रीः–

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 461 / 41.04 बीघा, 556 / 0.05 बीघा, 567 / 74.17 बीघा मौजा बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03, 05, 07 ता 09, 13 एवं 15 द्वारा प्रस्तुत सहमति से बंटवाड़ा मय नक्शा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अणदा पुत्र चुतरा हि0 1 / 4 खुमा पुत्र चुतरा हि0 1 / 4 तगी पत्नी चुतरा हि0 1 / 4 रमेश कुमार पुत्र हुकमाराम हि0 1 / 20 शांति पुत्री हुकमाराम हि0 1 / 20 पदमी पत्नी हुकमाराम हि0 1 / 20 पेम्पों पुत्री हुकमाराम हि0 1 / 20 झीमों पत्नी हुकमाराम हि0 1 / 20 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी बाण्ड धीमजी	566 567 461	0.0405 2.3400 1.3338	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 3.7143 है0				
पूराराम पुत्र कलाराम हि0 1 / 5 भूराराम पुत्र कलाराम हि0 1 / 5 लाखाराम पुत्र कलाराम हि0 1 / 5 गोमाराम पुत्र कलाराम हि0 1 / 5 छोगाराम पुत्र कलाराम हि0 1 / 5 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी	567	3.7200	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 3.7200 है0				
वीरमाराम पुत्र खरता हि0 1 / 5 शेराराम पुत्र खरता हि0 1 / 5 खेमा पुत्र खरता हि0 1 / 5 जेठा पुत्र खरता हि0 1 / 5 सजनी पत्नी खरता हि0 1 / 5	बाण्ड धीमजी	461 461	2.3133 1.4067	बा0दो0 बा0दो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

जाति जाट सा0 देह खातेदार				
कुल किता 02 रकबा 3.7200 है0				
माना पुत्र हरखा हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी बाण्ड धीमजी	567 461 461	2.1046 0.8569 0.7585	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 3.7200 है0				
मूलाराम पुत्र आदूराम हि0 1/4 ईसराराम पुत्र आदूराम हि0 1/4 वीराराम पुत्र आदूराम हि0 1/4 ओमाराम पुत्र आदूराम हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी	567	3.7200	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 3.7200 है0				
खुमाराम पुत्र चुतराराम हि0 1/4 पूराराम पुत्र कलाराम हि0 1/4 मानाराम पुत्र हरखाराम हि0 1/4 वीरमाराम पुत्र खरताराम हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी	567	0.2317	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.2317 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह संशोधित डिक्री आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested